

ADMISSION FOR GARMENT TECHNOLOGY/TAILORING-2003
SEATS

BACKWARD, MINORITY and HANDICAPED class only
'EDP' Training. (Tailoring/ Fashion Technology) at Ujjain (M.P.)

30 SEATES FOR BACKWARD CLASSES

30 SEATS FOR MINORITY CLASSES

30 SEATS FOR HANDICAPE CLASSES

DURATION

2 months
(25 working days
in a month)

Fees. – Free

M.P.B.M.C.F.D.C.

After EDP Training corporation shall be arrange examination, those candidates pass the examination will be eligible for certificates. Norms for examination will be issue separately by corporation

NIFT CONSULTANCY :- Curriculum, Monitoring, Evalutaion process, Selection Guidelines for candidate instructor and Formation of certificate for final successful passed candidate.

आवेदन / प्रशिक्षण (EDP) हेतु पात्रता / नियम

- (1) म.प्र. का निवासी हो।
- (2) आवेदिका यदि नगरीय क्षेत्र का निवासी हैं तो उसके परिवार की वार्षिक आय 55,000.00 से अधिक न हो या ग्रामीण क्षेत्र का हैं तो उसकी वार्षिक परिवार की आय 40,000 से अधिक न हो। (दोहरी गरीबी रेखा के नीचे की परिभाषा में आता हैं)
- (3) आवेदक पिछडा वर्ग / अल्पसंख्यक / निःशक्त वर्ग का होना चाहिए। निःशक्त के लिए 40 प्रतिशत निःशक्त का चिकित्सक का प्रमाण-पत्र होना चाहिए।
- (4) केवल लड़कियों / महिलाओं के लिए हैं।
- (5) आवेदन-पत्र का परीक्षण उपरान्त पात्रता पाने के उपरान्त साक्षात्कार हेतु गठित समिति द्वारा साक्षात्कार लेने पर पात्रता होने पर प्रशिक्षण हेतु प्रवेश दिया जा सकता हैं।
- (6) आवेदन हेतु आवेदक को मान्यता प्राप्त से 10 वीं परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है।
- (7) उपरोक्त प्रमाण-पत्र आवेदन के साथ संलग्न न होने पर आवेदन निरस्त कर दिया जावेगा।
- (8) केवल प्रशिक्षण हेतु व्यवस्था हैं रहने खाने पीने एवं आने जाने को कोई भत्ता नहीं दिया जावेगा। केवल म्क प्रशिक्षण की व्यवस्था निगम की रहेगी।
- (9) छात्र-वृत्ति प्रतिदिन के मान से निगम के नियमों के अनुसार देय होगी।
- (10) इस प्रशिक्षण का कोई भी शुल्क छात्रा से नहीं लिया जायेगा। निःशुल्क हैं, जबकि निपट नई दिल्ली के चतुर्वेचमबजने के अनुसार 6 माह का शैक्षणिक शुल्क रु. 33,500/- हैं। छष्ज द्वारा परीक्षा आयोजन उपरान्त चयन किया जाता हैं। यह म्क प्रशिक्षण दो माह का निःशुल्क हैं।

टीप :-

- (1) प्रशिक्षण की शर्तें एवं राष्ट्रीय निगमों तथा निपट के निर्देशों के अनुरूप अंतिम निर्णय लेने का अधिकार प्रबंध संचालक म.प्र. पिछडा वर्ग एवं अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम भोपाल को होगा।
- (2) EDP के नियमों के अर्न्तगत प्रशिक्षण दिया जावेगा।
- (3) राष्ट्रीय निगमों से प्रशिक्षण का आवंटन प्राप्त न होने की दशा में निरस्त किया जा सकेगा।
- (4) प्रशिक्षण उत्तीर्ण का प्रमाण-पत्र उन्ही को प्रदाय किया जावेगा जो प्रशिक्षण के उपरान्त आयोजित परीक्षा उत्तीर्ण कर लेगा।
- (5) आवेदिका की आयु 18-35 तक होना चाहिए।
- (6) राशन कार्ड की छाया-प्रति लगाये।
- (7) चयन का अंतिम निर्णय प्रबंध संचालक के पास सुरक्षित हैं।

आवेदन पत्र प्राप्त करने का तरीका :-

आवेदन-पत्र डिमांड ड्राफ्ट -

1. **स्वयं द्वारा** – 100/- रु. का ड्राफ्ट जमा करने पर आवेदन-पत्र प्राप्त किया जा सकता है।
2. **डाक द्वारा** – 125/- रु. का ड्राफ्ट निगम (भोपाल) के पते पर भेजने पर आवेदन-पत्र डाक द्वारा भेजा जा सकेगा।

ड्राफ्ट → “म.प्र. पिछडा वर्ग एवं अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम, भोपाल (म.प्र.)” के नाम देय हो।

आवेदन-पत्र प्राप्त करने का स्थान एवं आवेदन-पत्र जमा करने का पता :-

निगम का पता- 1. म.प्र. पिछडा वर्ग एवं अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम,
परिसर-दो, प्रथम तल, राजीव गांधी भवन, 35 श्यामला हिल्स,
भोपाल (म.प्र.) -462002, दूरभाष :- 0755-2660209.

अस्थायी केन्द्र- 2. “जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, मक्सीरोड, उज्जैन”
दूरभाष :- 0734-2519616.

3. विकलांग कल्याण संघ, रामबाग, इन्दौर
दूरभाष :- 0731-2533924.

टीप :- 1. उपरोक्त स्थानों पर दिनांक 15 फरवरी 2004 तक सीधे स्वयं डी.डी. जमा कर कार्यालयीन समय में प्राप्त कर सकते हैं या डाक से प्राप्त कर सकते हैं।

2. उपरोक्त पतों पर दिनांक 15 फरवरी 2004 तक आवेदन-पत्र जमा करने / प्राप्त होने की अंतिम तिथि रहेगी।